

11/1/19

वादिमा के अधिवक्ता एव वादिमा स्वयं अनुपस्थित।
 प्रतिवादी सभा। क 7 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता
 प्रतिवादी। क 7 ने निवेदन किया कि वादिमा एव वादिमा
 के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। प्रकरण खारिज किया।
 जबकि वादिमा एव उनके अधिवक्ता को अदालत उठने
 तक तीनों कार आवाज लगावारी गई। परन्तु उस की
 और से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया।

अतः प्रकरण अदम हाजिरी अदम फेन्सी के खारिज
 किया गया है। मिसल फेसल शुमार होकर नम्बर से
 कम है। वाद दफ्तर दारिखल है।

आदेश आज खुले न्यायालय में युनाया गया। L

(पर्यतसिंह धूण्डावत)
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 मसूदा (अजमेर) राज.

